Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039,
Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-104/UP Dated: 14/11/2017

To

All District/Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: First Report Part-1 to 4 of Pay Committee, (2016) and its recommendations reg.

Ref: 1.SSA No.Pension Miscellaneous/LID-7245,4985,16349 dated 06/09/2017 of Principal Accountant General (A&E)-II, Allahabad,Uttar Pradesh.
2.Resolution No. 62/2016/P.C/-2-2643/X-04(M)/2016 dated 16/12/2016 of Finance (Pay Commission) Section-2, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith copies of Government orders issued by the Government of Uttar Pradesh regarding First Report Part-1 to 4 of Pay Committee, (2016) and its recommendations forwarded to this office with SSA by Principal Accountant General (A&E)-II,Uttar Pradesh, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in) under the link :- ***"Treasury endorsement of orders for other state pensioners"***. A copy of the same may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Sd
Sr. Accounts Officer

Pm/2/321/2017-18

20/9/17

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

सत्यमेव जयते

पत्रांकः–पेंशन विविध / LID-7245,4985,16349
SSA-DR Dy-115/711

दिनांक 06.09-2017

सेवा में,
AG(A&E) Kerela, Thiruvananthapuram. 695039

विषयः– 1. उ0प्र0 शासन संख्या 301 / 90–1–2017–53 सं–2002 दिनांक 15.06.2017
2. वित्त (आयोग) अनुभाग–2 शासनादेश संख्या वे0आ0–2–401 / 2017 / दस–2017 दिनांक 31.05.2017.
3. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 शासनादेश संख्या 3 / 2017 वे0आ0–1–465 / दस–2017–8(एम) / 2016 दिनांक 13.07.2017.

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियॉं संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें /

19 SEP 2017

संलग्नः– यथोपरि

भवदीय

लेखाधिकारी / पेंशन विविध

Office of the Principal Accountant General (A&E) II
20 Sarojini Naidu Marg U.P. Allahabad
Phones : Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Letter No :- Pension Miscellaneous/LID – 7245,4985,16349
SSA-DR Dy – 115/711

Dated : 06.09.2017

To

AG (A&E), Kerala,Thiruvananthapuram - 695039

Sub :-

1. Government of U.P. No. 301/90-1-2017-53 No. 2002 dated 15.06.2017
2. Finance (Commission) Section - 2 GO No. P.C.-2-401/2017/X-2017 dated 31.05.2017
3. Finance (Pay Commission) Section-1 GO No. 3/2017 P.C.-1-465/X-2017-8(M)/2016 dated 13.07.2017

Sir,

Copies of the above orders issued by the Department of Finance, Government of U.P. are being sent enclosed herewith.

Therefore, you are requested that the above orders may be circulated to all the Treasury Officers/Pension Payment Officers under your jurisdiction and direction may be given for taking action as per rules and a copy may please be forwarded to this office also.

Enclosed : As above

Yours faithfully,
Sd/-
Accounts Officer/
Pension Miscellaneous

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या- 62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016

लखनऊः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2016

संकल्प

पढ़ा गया: वेतन समिति, (2016) का प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से 4 तथा उसकी संस्तुतियॉ ।

पर्यालोचनार्थ-शासन द्वारा वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से 4 में राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा राज्य के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को विचारोपरान्त निम्न के अधीन रहते हुए स्वीकार कर लिया गया हैः-

(1) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियॉ स्वीकार की गयीं।

(2) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा।

(3) मॅहगाई भत्ते के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुति स्वीकार की गयी। इस क्रम में दिनांक 01 जनवरी 2016 को पूर्व वेतनमानों में देय मॅहगाई भत्ते को मूल वेतन में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक कोई मॅहगाई भत्ता देय नहीं होगा तथा दिनांक 01 जुलाई 2016 से दो प्रतिशत की दर से मॅहगाई भत्ता दिया जाना स्वीकार किया गया।

(4) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में 03 प्रतिशत की एक समान वार्षिक वेतनवृद्धि की दर तथा सभी के लिये समान रूप से वेतनवृद्धि की 01 जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर सम्बन्धित कार्मिक को उसकी नियुक्ति/प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन के संदर्भ में 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई को वेतनवृद्धि दिये जाने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(5) राजकीय कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये लागू रही ए0सी0पी0 की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया कि "संतोषजनक सेवा" के मापदण्ड के स्थान पर "बहुत अच्छा" निर्धारित किया जाय। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न संवर्गों के उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु वर्तमान में प्रभावी "संतोषजनक सेवाओं" के मापदण्ड को बढ़ाकर "बहुत अच्छा" निर्धारित किया जाय एवं तदनुसार सेवा नियमावलियों में संशोधन किया जाय।

(6) राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) के लिये लागू रही चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान की व्यवस्था को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पूर्ववत् बनाये रखने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) ऐसे राज्य कर्मचारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जो प्रथम 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें आगे वार्षिक वेतनवृद्धियॉ स्वीकृत न किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(8) राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों को अनुमन्य हो रहे विभिन्न प्रकार के भत्ते एवं सुविधाओं (मॅहगाई भत्ते को छोड़कर) को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पूर्व दरों पर बनाये रखने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार कर लिया गया।

(9) शिक्षा विभाग के शिक्षकों हेतु निर्धारित नियत वेतन रू0 7300 के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी 2016 से रू0 18770/- नियत वेतन निर्धारित किये जाने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(10) राज्य के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, मॅहगाई राहत तथा अन्य सुविधायें यथा-अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, Exgratia Lumpsum Compensation तथा स्थायी सेवक भत्ता आदि, जो केन्द्र के समान देय हैं, को दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में केन्द्र सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के समान दिये जाने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(11) ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्हें न्यायालय अथवा आयोग अथवा किसी जॉच समिति आदि में सेवाकाल में किये गये कार्यों के आधार पर साक्ष्य हेतु बुलाया जाता है, को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उनके द्वारा धारित अंतिम पद एवं वेतनमान हेतु अनुमन्य दरों पर प्रदान किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(12) सेवानिवृत्ति के समय निर्गत होने वाले पी0पी0ओ0 में अंतिम आहरित वेतन, वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/पे लेवल का उल्लेख किये जाने तथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उसकी पेंशन अन्तिम आहरित वेतनमान /वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम निर्धारित होने पर पेंशनर का आवेदन प्राप्त किये बिना उसकी न्यूनतम पेंशन कोषागार द्वारा निर्धारित किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(13) सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण का आदेश कोषागार द्वारा निर्गत करने एवं आदेश की प्रति सम्बन्धित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को उपलब्ध कराने तथा उक्त आदेश में पुनरीक्षित पेंशन तथा राशिकरण को घटाते हुए अनुमन्य पेंशन के साथ-साथ अधिक आयु पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन का भी उल्लेख किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(14) जीवित प्रमाण-पत्र हेतु भारत सरकार के समान व्यवस्था किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(15) जिलाधिकारी स्तर पर होने वाली मासिक बैठक के एजेन्डा में पेंशनर्स का प्रकरण सम्मिलित किये जाने विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(16) राजकोष से पेंशन पाने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए वित्त विभाग के स्तर से निर्गत शासनादेश के अनुसार ही न्यूनतम पेंशन का निर्धारण कोषागार द्वारा किये जाने की व्यवस्था विषयक वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(17) राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मँहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी 2017 (भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2017 को देय) से नकद भुगतान किया जाना तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय अवशेष का भुगतान 02 समान किश्तों में निम्नानुसार किया जाना स्वीकार किया गया है:-

(i) अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जायेगा।

(ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में उपरोक्तानुसार देय अवशेष का 80 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कार्मिक के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा किया जायेगा और अवशेष 20 प्रतिशत भाग में से देय आयकर की धनराशि को काटकर शेष नकद भुगतान किया जायेगा। ऐसे कार्मिक जिनके देय आयकर की धनराशि 20 प्रतिशत से अधिक होती है, के मामलों में 20 प्रतिशत नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि को देय आयकर की सीमा तक आयकर भुगतान हेतु बढ़ा दिया जायेगा तथा अवशेष धनराशि भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की जायेगी।

(iii) ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष उनके विकल्प के आधार पर एन0एस0सी0 के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा कर दिया जायेगा। उक्तानुसार भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि, जमा होने की तिथि से 01 वर्ष तक सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा रहेगी और उसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो, 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।

(iv) पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उपर्युक्त उप प्रस्तर-(i) के अनुसार वित्तीय वर्षों 2017-18 व 2018-19 में देय अवशेष का भुगतान नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाय।

(v) नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को तदनुसार देय अवशेष धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। अवशेष की शेष 90 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों को उनके विकल्प के आधार पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में अथवा उनके लोक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा कर दी जायेगी।

(vi) किसी पेंशनर/पारिवरिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

(18) वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-2 के प्रस्तर-8(8) में ऐसे सेवा निवृत्त व्यक्तियों, जो स्वेच्छा से बिना पारिश्रमिक के सेवायें प्रदान करने हेतु तत्पर हों, की सेवाओं का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यो हेतु करने, उनका डेटा बेस एवं बेवसाइट बनाये जाने एवं इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार किये जाने हेतु नियोजन विभाग को नोडल विभाग बनाये जाने विषयक समिति के मत को स्वीकार किया गया।

(19) वेतन समिति द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ राज्य कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उनके द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016/विकल्प की तिथि को प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर दिया जायेगा, परन्तु इस संकल्प द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स निम्न पर लागू नहीं होगीः-

(i) राज्य के न्यायिक सेवा तथा उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी।

(ii) स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय /विश्वविद्यालय, विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों तथा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक।

(iii) कार्य प्रभारित कर्मचारी।

(iv) स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी।

(v) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारी/अधिकारी।

(vi) स्थानीय निकाय/जिला पंचायत/विकास प्राधिकरण एवं जल संस्थानों के कर्मचारी/अधिकारी।

(vii) जूनियर डाक्टर्स।

(20) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सामान्य आदेश, वेतन निर्धारण एवं मँहगाई भत्ते के सम्बन्ध में आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(21) इस संकल्प के जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवाओं में तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में पदों पर भर्ती एवं पदों का सृजन पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही किया जायेगा।

(22) उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई असंगति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण सामान्य विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।

(23) जहाँ कहीं किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

(24) वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरूतर दायित्व निवर्हन करते हुए प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, शासन उसकी सराहना करता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन साधारण की सूचना के लिये उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित किया जाय। संकल्प तथा वेतन समिति का प्रथम प्रतिवेदन वित्त विभाग की वेबसाइट पर रखा जाय और सम्बन्धित विभागों को भी भेजा जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन तथा संकल्प की प्रतियाँ, राजकीय सेवा संघों और जनता के लिये बिक्री हेतु उपलब्ध रखी जायें।

आज्ञा से,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643(1)/दस-04(एम)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
5. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
8. सचिवालय के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Government of Uttar Pradesh
Finance (Pay Commission) Section - 2
Finance – 62/2016/P.C.-2-2643/X-04(M)/2016
Lucknow : Date : 16th December,2016

RESOLUTION

Read : First Report Part - 1 to 4 of Pay Committee, (2016) and its recommendations.

For consideration – The recommendation made in Part-1 to 4 of the first report of the Pay Committee in regard to government employees, government teachers, teaching/non-teaching staff of aided educational/technical educational institutions and the pensioners/family pensioners of the state, have been accepted by the Government after due consideration.

(1) Recommendations of Pay Committee in respect of revised pay has been accepted.
(2) Pay fixation in revised pay matrix will be done as per the recommendations of the Pay Committee.
(3) Recommendation made by the Pay Committee in respect of Dearness Allowance has been accepted. In continuation to this, consequent to incorporation of Dearness Allowance payable in the prior pay scales with the basic pay as on 1st January 2016, no Dearness Allowance shall be payable from 1st January 2016 to 30th June 2016 and grant of Dearness Allowance at the rate of two percent w.e.f. 01st July 2016 has been sanctioned.
(4) Recommendations of the Pay Committee to grant equal annual increment of 03 percent in the revised pay matrix and to grant increment to the concerned official on 1st January and 01st July with reference to his appointment/promotion/financial upgradation in place of the existing date of 01st July uniformly to everyone, has been accepted.
(5) The provision of A.C.P. applicable to government employees and the non-teaching staff of aided educational/technical educational institutions, in the revised Pay Matrix, has been accepted with the amendment that the criterion of "satisfactory service" may be determined as "very good". Apart from this, for promotion on higher posts of different state cadres, the criterion of "satisfactory service" effective at present shall be improved and determined as "very good" and accordingly amendment may be made in the service rules.
(6) The recommendation of the Pay Committee to maintain the provision of selection pay scales/promotion pay scales applicable for the teachers of government and aided educational/technical educational institutions (except the posts covered by U.G.C., A.I.C.T.E., I.C.A.R. pay scales) same as it is in the revised pay matrix has been accepted.
(7) The recommendation of the Pay Committee for not sanctioning further annual increments to those state employees and non-teaching staff of aided educational/technical educational institutions, who do not fulfill the prescribed criteria for A.C.P. or regular promotion till completing the first 16 years of service, has been accepted.
(8) The recommendation of the Pay Committee for maintaining the prior rates of different types of allowances and benefits permissible to the above category of employees of the state (except Dearness Allowance) in the revised pay matrix has been accepted.
(9) The recommendation of the Pay Committee for the fixation of pay of the teachers of Education Department at Rs.18770/- w.e.f. 01st January 2016 in the place of fixed pay of Rs.7300/- has been accepted.
(10) The recommendation of the Pay Committee to grant pension, gratuity, commutation of pension, family pension, dearness relief and other benefits viz, additional pension /family pension, Ex-gratia Lump Sum Compensation and permanent serving allowance etc., payable at par with central, to the state pensioners/family pensioners in the revised pay matrix applicable from 01st January 2016 at par with central government pensioners/family pensioners, has been accepted.
(11) The recommendation of the Pay Committee to grant TA and DA to those retired employees who are called for witness on the basis of the service rendered by them in court or commission or any enquiry committee, at the rates admissible for the last pay scale and post held by them, has been accepted.

The recommendation of the Pay Committee regarding the fixation of minimum pension of pensioner by the treasury without receiving his application on mentioning the last pay drawn pay scale/pay band and grade pay/pay level in the P.P.O. issued at the time of retirement and on fixation of his pension in the revised pay matrix at less than 50 percent of the minimum of last pay drawn/pay band and grade pay/pay matrix, has been accepted.

(13) The recommendation of the Pay Committee regarding the issue of pension revision orders of the retired employees by the Treasury and making available the copy of the order to the concerned pensioner/family pensioner and mentioning the revised pension and the pension permissible after deducting commutation along with additional pension payable at older age, has been accepted.

(14) The recommendation of the Pay Committee regarding making arrangements for Life Certificate at par with Government of India, has been accepted.

(15) The recommendation of the Pay Committee regarding the inclusion the case of the pensioners in the agenda of the monthly meetings held at District Officer level, has been accepted.

(16) The recommendation of the Pay Committee regarding the arrangement for fixation of minimum pension by the treasury for the pensioners receiving pension/family pension from government treasury as per the GO issued at the level of Finance Department, has been accepted.

(17) Cash payment of pay in revised pay matrix and dearness allowance to government employees, government teachers and teaching/non-teaching staff of aided educational/technical educational institutions from 01st January 2017 (payable on 01st February 2017) and payment of balance payable from 01st January 2016 to 31st December 2016 in two equal instalments as given below, has been accepted:-

(i) Payment of 50% of balance shall be made in the financial year 2017-2018 and payment of 50% percent in the financial year 2018-19. Withdrawal of the balance in the financial year 2017-18 and 2018-19 will not be done before the month of October of the related month.

(ii) 80 percent of the balance payable in the financial years 2017-18 and 2018-19 as mentioned above, will be credited in the Provident Fund account of the concerned personnel and after deducting the amount of income tax payable from the remaining 20%, balance amount will be paid in cash. In the case of those personnel whose amount of income tax payable is more than 20 percent, the amount of 20 percent to be paid in cash will be increased to the limit of payable income tax for the payment of income tax and the remaining amount will be credited in the Provident Fund.

(iii) In the case of those employees whose Provident Fund Account has not been opened, balance payable will be given in the form of N.S.C. or credited to their Peoples Provident Fund (P.P.F.) account based on the option given by them. The amount credited in the Provident Fund account as mentioned above, will be deposited in the Provident Fund Account of the concerned employee/officer for 01 year from the date of credit and cannot be withdrawn before 01 year except in those cases, where final withdrawal is admissible under Provident Fund Rules.

(iv) Payment of balance in the financial years 2017-18 and 2018-19 to pensioners/family pensioners as per sub para –(i) above shall be made in cash. Payment of balance to pensioners/family pensioners aged 80 years or above shall be made in the current financial year itself.

(v) In respect of the employees covered under National Pension Scheme, amount equivalent to 10% of the balance amount payable as above will be credited in Tear-1 pension account of the concerned employees and equivalent contribution shall be credited in Tear-1 pension account by the State Government/Employer. The remaining 90% amount of balance shall be given to the concerned employees in the form of National Savings Certificate (NSC) or credited in their PPF account.

(vi) In case of death of any pensioner/family pensioner before receiving the payment of balance, lump sum cash payment of the amount of remaining balance (including payments due in in the subsequent years) will be made to the person authorized by such pensioner/family pensioner or to the legal heir as per rules.

(18) Opinion of the committee in para -8(8) part-2 of the first report of the Pay Committee, for utilizing the services of those retired persons, who are willing to render their services voluntarily without remuneration, for nation building and for making their data base and

and employing the Employment Department as the Nodal Department for its comprehensive promotion and dissemination, has been accepted.

(19) The benefit of revised pay matrix recommended by the Pay Committee will be given to the state employees, government teachers, teaching/non-teaching staff of aided educational/technical educational institutions, on the basis of the pay band and grade pay/pay scale received by them as on 01st January 2016/date of option, but the revised pay matrix sanctioned through this resolution will not be applicable to the following :-

- (i) Officers of State Judicial Service and Higher Judicial Service.
- (ii) Teachers of Graduation/Post Graduation Colleges/Universities, Various Engineering Colleges and Agriculture Universities
- (iii) Work charged employees
- (iv) Employees/Officers of self-governing institutions
- (v) Employees/Officers of Public Undertakings/Corporations
- (vi) Employees/Officers of Local Bodies/District Panchayats/Development Authorities and Water Institutes
- (vii) Junior Doctors

(20) General Orders regarding sanction of revised pay matrix, orders related to pay fixation and dearness allowance will be issued by the Finance Department. It is not required to issue separate orders in this regard by the concerned administrative departments.

(21) Creation of posts and recruitment to posts in aided educational/technical educational institutions and in state services will be done in the revised pay matrix only from the date of issue of this resolution.

(22) Anomaly, if any, occurring as a result of implementing the above decisions will be abrogated under the general departmental proceedings with the approval of the Honourable Chief Minister.

(23) Wherever any clarification is required, suggestions can be obtained from Finance Department.

(24) Government appreciates the hard work, perseverance and devotion of the Chairman, members and officers and employees of the committee in discharging their important responsibility of submitting the first report.

Order

It is ordered that this resolution be published in the Gazette of Uttar Pradesh for the information of general public. Resolution and first report of the pay committee may be shown in the website of Finance Department and may be sent to the concerned departments.

It is also ordered that copies of the first report and resolution of the pay committee, shall be made available for sale for Government Service Associations and public.

By orders,
Anoop Chandra Pandey
Chief Secretary

No.-62/2016/W.O.-2-2643(1)/X-049(M)/2016

Copy forwarded to the following for information and necessary action along with the copy of the report:-

1. Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad
2. Prl Secretary to Honourable Governor, Uttar Pradesh
3. Prl Secretary, Legislative Assembly/Legislative Council, Uttar Pradesh
4. All Prl Secretaries/Secretaries to Government of Uttar Pradesh
5. Registrar General, High Court, Allahabad
6. All Heads of the Departments and Heads of Main Offices, Uttar Pradesh
7. Director, Information and Public Relations, Uttar Pradesh
8. All Sections concerned with the Establishment of Secretariat
9. IRLA Check Section, Government of Uttar Pradesh
10. Guard Book

By orders,
Manoj Kumar Joshi
Special Secretary